



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट सुजानगढ

क्रंमाक : न्याय / 2025 / 1586


दिनांक 23/9/25

थानाधिकारी,  
पुलिस थाना सालासर।

विषय:- ग्राम बोबासर चारणनान मे भैरोजी माता मन्दिर के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरु द्वारा डॉ किरण आहुजा पेटा इण्डिया से ग्राम बोबासर चारणनान में भैरुजी माताजी मन्दिर में नवरात्री के त्योहार पर 06 बकरों के बली दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुयी है।


अतः आपको इस संबध में निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त शिकायत की जांच करें एवं नियमानुसार कार्यवाही करें तथा मन्दिर कमेटी को भी इस संबध में पाबन्द करे की किसी भी पशु की बली आदि ना दि जाये।

  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सुजानगढ

क्रंमाक : न्याय / 2025 / 1587-1592  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक 23/9/25

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरु।
02. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय सुजानगढ।
03. विकास अधिकारी सुजानगढ को पालनार्थ।
04. तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ।
05. मंदिर कमेटी भैरुजी माताजी मन्दिर बोबासर चारणनान को पालनार्थ।
06. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सुजानगढ